उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग में रद्दी विक्रय के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग कार्यालय में कागज की रद्दी (अखबार एवं गत्ता) जैसा है, जहां है, के आधार पर विक्रय किया जाना प्रस्तावित है। रद्दी का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस को आयोग कार्यालय में किया जा सकता है। रदी क्रय करने के इच्छुक फर्म/ठेकेदार प्रति किलो दर से अपने लैटर पैड पर बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट व आयोग काउन्टर पर दिनांक 25.06.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें जो कि उसी दिन अपराह्न 12:00 बजे समिति के समक्ष लिफाफे खोले जाएंगे। डाक में विलम्ब के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिफाफे के ऊपर "रद्दी हेतु दरें" अंकित करना अनिवार्य है। दरों के साथ रू0 1,000/– की धनराशि उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग कार्यालय में धरोहर राशि के रूप में नगद जमा करनी होगी। आवश्यक शर्तें निम्नवत् हैं:–

1. धरोहर राशि नगद जमा किये बिना किसी भी फर्म/ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
2. जिन फर्म/ठेकेदार की दरें सबसे अधिक होगी, उनकी दरें गठित कमेटी द्वारा विचारोपरान्त स्वीकृत की जायेगी एवं उनकी धरोहर राशि बतौर जमानत धनराशि आयोग में जमा रहेगी, जिन फर्मो एवं ठेकेदारों की दरें कम होगी उनकी धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी, जिसे उसी दिवस प्राप्त किया जा सकता है।
3. दरें स्वीकृत होने के पश्चात कागज की रद्दी जैसा है, जहां के आधार पर उठान कराना आवश्यक है।
4. स्वीकृत ठेकेदार/फर्म को रद्दी उठाने की व्यवस्था हेतु बड़ा कांटा, बांट, बोरी आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा इसके लिए कोई भी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान नहीं करेगा। सामान की तुलाई आयोग के प्रतिनिधि के समक्ष की जायेगी।
5. दरें स्वीकृत होने के पश्चात कुल धनराशि जमा करनी होगी तथा एक मुश्त रद्दी का उठान करना आवश्यक होगा।
6. आयोग के निर्देशानुसार उन रद्दी सामग्रियों को, जिसे आयोग उचित समझेगा, की लुग्दी आयोग के प्रतिनिधि के सामने फर्म/ठेकेदार द्वारा यथोचित स्थान पर कराया जाना आवश्यक होगा।
7. यदि स्वीकृत फर्म/ठेकेदार समय से रद्दी का उठान नहीं करता है तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए आयोग निस्तारण हेतु अन्य व्यवस्था करने की लिए स्वतंत्र होगा।
8. रद्दी विक्रय हेतु शासनादेशों के तहत जो भी टैक्स देय होंगे, स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को जमा करना अनिवार्य होगा।
9. स्वीकृत फर्म/ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि के द्वारा रद्दी उठाने हेतु यदि आयोग को कोई छति पहुंचायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म/ठेकेदार को होगा।
10. अपने लैटर पैड पर रेट प्रति किलो अंकित करते हुए दुकान/निवास का फोन नम्बर भी अंकित किया जाना आवश्यक है। यदि मोबाईल फोन उपलब्ध हो तो मोबाईल फोन नम्बर भी अंकित जाया जाए।
11. यदि समिति उचित एवं आवश्यक समझती है, तो लिफाफा बंद दरें डालने वाले व्यक्तियों के मध्य खुली बोली भी करा सकती है।
12. किसी भी विवाद की दशा में मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
13. किसी भी फर्म/ठेकेदार की दरों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग को होगा।
14. अन्य शर्तें जो, भी होंगी, मौके पर बतायी जायेंगी, जो सभी को मान्य होंगी।

प्रशासनिक अधिकारी।
उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग।

उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग
प्लॉट सं0 ए–8, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
संख्याः /उ0मा0अ0आ0/2024
देहरादून, दिनांक जून, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषितः–

1. दिवानी न्यायालय, देहरादून।
2. आयुक्त, नगर निगम कार्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी कार्यालय, देहरादून।
4. सूचना महानिदेशालय, देहरादून।
5. तहसील कार्यालय, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी।
उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग